रजिस्टर्ड

# कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

क्रमांकः–एफ–1 ( )स्थापना/2020/2497 दिनांकः– 30.9.2020

श्री प्रदीप मेहता पुत्र श्री रमेशचंद
ग्राम दॉता पोस्ट केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां
पिनकोड 325216 मोबाईल नं. 9602517216

विषयः– कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग जयपुर द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय बारां को आवंटित अभ्यर्थीयों के मूल दस्तावेज के सत्यापन/जांच एवं काउंसलिंग के संबंध में।

प्रसंगः– प्रशासनिक सुधार (अनु.–3)विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1(2)प्र.सु./अनु.–3/2020 दिनांक 24.9.2020 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.9.2020 से कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में आपका चयन होने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 7/10/2020 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निम्न मूल दस्तावेजों के साथ अपनी पात्रता की जांच हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होवें। इस संदर्भ में उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का किराया व भत्ता आदि देय नहीं होगा।

1. कक्षा 10 का मूल प्रमाण पत्र जिसमे जन्म दिनांक अंको व शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित हो।
2. कक्षा 10 से स्नातक की परीक्षाओं की मूल अंक तालिकाएं।
3. मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. आवेदक का पहचान पत्र।
5. यदि आवेदक का चयन उत्कृष्ठ खिलाड़ी के कारण हुआ है तो उत्कृष्ठ खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र।
6. यदि आवेदक का चयन भूतपूर्व सैनिक के कारण हुआ है तो भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।
7. विधवा/परित्यक्ता होने संबंधी दस्तावेज।(विधवा–पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता–परित्यक्ता प्रमाण पत्र जो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया हो।)
8. यदि आवेदक का चयन अनुसचित क्षेत्र में हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र में निवासी होने का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र।
9. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र एवं 01.06.2002 के पश्चात 02 से अधिक संतान नहीं होने/विधवा, परित्यक्ता महिला द्वारा पुनः विवाह नहीं करने का शपथ पत्र तथा धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध मे वचनबद्वता (Undertaking)
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
11. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलियर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नही होना चाहिए।
12. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के अधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामलें में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नही है। अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम के साथ जारी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें, तो ही मान्य होगा।
13. कम्प्यूटर दक्षता के संबंध में RSCIT या इसके समकक्ष अन्य कोर्स का प्रमाण पत्र।
14. समस्त अभ्यर्थी बारां जिले की वेबसाईट पर अपलोड प्रपत्र–'अ' 'ब' 'स' 'द' और 'द' में निर्देशानुसार प्रपत्र में सूचना

15. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र।
16. दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से जारी किया हुआ।
17. अधिक जानकारी के लिये यह सूचना बारां जिले की वेबसाईट baran.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार प्रपत्र

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,
बारा

क्रमांकः—एफ—1 ( )स्थापना / 2020 / 2498 दिनांकः— 30.9.2020

प्रतिलिपिः—एनालिस्ट कम—प्रौग्राम (उपनिदेशक) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बारां को निर्देशित किया जाता है कि बारां जिले की वेबसाईट पर मय प्रपत्र 'अ' 'ब' 'स' 'द' और 'द' अपलोड करावें व साथ ही एस.एम.एस. द्वारा भी अभ्यर्थी को सूचित किये जाने की व्यवस्था करावें।

जिला कलक्टर,
बारां